भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4271

18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

lHkh d: fy, vkokl d: fotu dh ixfr

4271. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री गोपाल शेट्टी:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या vkoklu vkj 'kgjh dk;l मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास संबंधी सरकार के विजन के अंतर्गत कार्य इसके अंतर्गत निर्धरित लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में गृह ऋणों संबंधी विभिन्न राहतों/रियायतों की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : जी, हां । वर्ष 2022 तक ''सबके लिए □ वास'' के सरकार के विज़न के अनुसरण में, □ वासन और शहरी कार्य मंत्रालय दिनांक 25.06.2015 से शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री □ वास य□जना (शहरी) [□ीएमएवाई(यू)] कार्यान्वित कर रहा ह□। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में □ वास की वास्तविक मांग का □ कलन करने के लिए स्कीम के अंतर्गत मांग सर्वेक्षण किया ह□। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक सूचित की गई व□ीकृत मांग लगभग 112 लाख □ वास ह□। स्कीम के अंतर्गत कुल 83,68,861 □ वास अनुम□दित किए गए हैं, इनमें से, 48,37,466 □ वास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 26,13,799 □ वास □ूर्ण ह□ गए हैं ।

(ग) और (घ) : □ीएमएवाई(यू) के ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के अंतर्गत, बैंकों, □ वास वित्त कं□नियों और ऐसे अन्य संस्थानों से □ वास ऋण प्राप्त करने

के इच्छुक □ र्थिक रू□ से कमजा□ वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न □ य वर्ग (एल□ ईजी), मध्यम □ य वर्ग (एम□ ईजी)-। और मध्यम □ य वर्ग (एम□ ईजी)-।। के □ात्र लाभार्थियों हेतु 6 लाख रू□ये, 9 लाख रू□ये और 12 लाख रू□ये तक की ऋण धनराशियों □र क्रमश: 6.5%, 4% और 3% ब्याज सब्सिडियां उ□लब्ध हैं ।

इसके अतिरिक्त, □ यकर अधिनियम की धारा 24 के तहत स्वयं अर्जित सम□त्ति के संबंध में □ वास ऋण □र भुगतान किए गए ब्याज □र 2 लाख रू□ये की कटौती के अतिरिक्त, सरकार ने केंद्रीय सरकार के 2019-20 के बजट में 45 लाख रू□ये मूल्य के □ वास की खरीद □र 1 अप्रा, 2019 और 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि में लिए गए ऋण □र भुगतान किए गए ब्याज हेतु 1.5 लाख रू□ये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए □ यकर अधिनियम में एक नई उ□-धारा (80ईईए) शामिल करने का प्रस्ताव किया ह□।